भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3959

दिनांक 19 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

थर्मल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी हेतु पोर्टल (प्रॉम्प्ट)

3959. श्री लुम्बा रामः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री मुकेश राजपूतः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत वितरण (लेखा और अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2024 के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय सूचना देने में पारदर्शिता और जबाबदेही बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ख) औसत विद्युत आपूर्ति (एसीएस) और सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों के लिए नई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से विद्युत वितरण कंपनियों की विनियामक निगरानी और वित्तीय स्थिरता पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) थर्मल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी हेतु पोर्टल (प्रॉम्प्ट) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके कारण क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के लिए विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रही है। इस दिशा में, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण (लेखा और अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2024 लागू किए हैं, ताकि वितरण क्षेत्र के लिए लेखांकन हेतु समान प्रावधान किए जा सकें। नियमों में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

i. केवल ऐसी मदें और राशियाँ जिन्हें टैरिफ आदेशों में वसूली योग्य बताया गया है, उन्हें वित्तीय विवरणों में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाएगी। इससे औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत प्राप्त राजस्व (एआरआर) के बीच वास्तविक अंतर का आकलन करने में सहायता मिलेगी। इससे वास्तविक सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों का आकलन करने में भी मदद मिलेगी।
ii. नियमों में ऐसी प्राप्तियों की अवधि के आधार पर प्राप्तियों के प्रावधान के लिए समान श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण निर्दिष्ट किया गया है।

iii. वितरण यूटिलिटियों के प्रचालन कार्यावधि को निर्धारित करने में मदद करने के लिए वित्तीय विवरणों के खातों के नीचे अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण (एडीएस) संलग्न करना अनिवार्य किया गया है। इसमें विद्युत क्रय विवरण, एसीएस-एआरआर अंतर और एटीएंडसी हानि का विवरण, सब्सिडी विवरण, उपभोक्ताओं को विक्रय का विवरण, सकल व्यापार प्राप्तियां, उधार विवरण और इसी तरह के अन्य विवरण शामिल हैं।

(ग) : निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं की वास्तविक समय पर निगरानी और समय पर पूरा करने के लिए, आईटी आधारित परियोजना प्रबंधन पोर्टल अर्थात् प्रोमप्ट (पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स-थर्मल) विकसित किया गया है।

ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म परियोजना प्रबंधकों और हितधारकों को सूचित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करता है, जिससे परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित करने वाले मुद्दों की समय पर पहचान हो सके और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पोर्टल की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

i. सभी निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं की जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करता है।
ii. निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रमुख माइल्स्टोन की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और विश्लेषण, जिससे मुद्दों की त्वरित पहचान और समाधान संभव हो पाता है।
iii. पारदर्शिता और जवाबदेही: पूरी प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से परियोजना प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता आएगी, जिससे समय और लागत में कमी आएगी।
iv. परियोजना अधिकारियों को 'कमीशनिंग सर्टिफिकेट' ऑनलाइन जारी करने की सुविधा प्रदान करता है।

****